न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या 3/2019 एल.आर.एक्ट

रतनाराम पुत्र गोकुलराम जाति जाट निवासी गीगासर तहसील व जिला बीकानेर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट जरिये तहसीलदार(राजस्व) बीकानेर ।
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र हीराराम जाति कुम्हार निवासी गीगासर तहसील व जिला बीकानेर
3. पोकरराम पुत्र अमराराम जाति नाई निवासी गीगासर तहसील व जिला बीकानेर
4. हरिराम पुत्र किस्तुराराम मेघवाल निवासी गीगासर तहसील व जिला बीकानेर
5. सीताराम पुत्र किस्तुराराम मेघवाल निवासी गीगासर तहसील व जिला बीकानेर
6. अध्यक्ष,राव देदा जी जुझार सेवा समिति ग्राम सुरधना जरिये मानाराम पुत्र चूनाराम कुम्हार निवासी सुरधना तह0जिला बीकानेर ।

रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः 1— श्री सत्यपाल सहू, अभिभाषक अपीलान्ट
2— श्री सत्यनारायण तिवाड़ी अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं0 2ता6

निर्णय

दिनांक 3.12.2019

1. यह प्रथम अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम् 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के आदेश दिनांक 29.1.19, जिसके द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट रतनाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 131—136 एल.आर.एक्ट खारिज किया गया, के विरुध्द इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलान्ट ने दिनांक 3.5.10 को उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर के समक्ष राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131—136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत वाके रोही गीगासर तहसील बीकानेर के खसरा नं0 112 तादादी 5.61 हैक्टेयर व खसरा नं0 578/112 तादादी 0.45 हैक्टेयर एवं खसरा नं0 769/124 तादादी 1.83 हैक्टेयर कुल तादादी 7.89 हैक्टेयर भूमि खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है । उक्त भूमि प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.10.79 को जरिये बैयनामा क्रय की है, जिसका राजस्व रिकॉर्ड में बैयनामा का नामान्तरकरण सं0 309 दिनांक 3.6.80 को दर्ज किया गया है । नकल जमाबन्दी संवत 2036 से 39 में प्रार्थी रतनाराम के नाम खातेदारी में ख0नं0 178 की 21.11 बीघा, 12 बिस्वा भूमि सड़क व खसरा नं0 195 में 9 बीघा कुल 30.11 बीघा व 12 बिस्वा सड़क इस प्रकार कुल 31 बीघा 3 बिस्वा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है । प्रार्थी रतनाराम की 12 बिस्वा भूमि जो सड़क में गई, जिसका नामान्तरकरण सं0 281 दिनांक 25.12.78 को दर्ज हुआ । गांव गीगासर तहसील बीकानेर में भू—प्रबन्ध कार्य संवत 2040 से 2059 तक हुआ । दौराने पैमाइस प्रार्थी के खातेदारी खेत में मौके पर कोई रास्ता या पगडंडी नहीं होते हुए मनमाने तरीके से अक्स तैयार किया जाकर बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के खसरा नं0 112 एवं 578/112 की दक्षिणी सींव पर अक्स में पगडंडी कायम कर दी गयी । प्रार्थी भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार की गयी सजराशीट के पूर्व के राजस्व विभाग की सजराशीट के अनुसार दुरुस्ति कर कायम की गयी पगडंडी को हटाया जाकर अक्स को दुरुस्त कराने का अधिकारी है । अतः उक्त भूमि का अक्स पूर्व के राजस्व

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अक्स अनुसार दुरुस्त करने का आदेश पारित किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड न्यायालय, बीकानेर द्वारा बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 29.1.2019 पारित किया कि वर्ष 1947 के राजस्व रिकॉर्ड में 12 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन दर्ज है तथा भू–प्रबन्ध द्वारा सम्वत 2040 से 2049 के अक्स में खसरा नं0 178 की तदादी 12 बिस्वा भूमि को डोटेड लाइन से रास्ता बताया गया है। भू–प्रबन्ध के पश्चात किसी भी कार्यवाही के सन्दर्भ में रिलीफ दावे के माध्यम से ही ली जा सकती है। भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131–136 में लिपिकीय त्रुटि को ही संशोधित करवाया जा सकता है, जबकि प्रार्थी अक्स में भू–प्रबन्ध द्वारा दर्शाई गयी डोटेड लाईन को हटवाना चाहता है, जो लिपीकीय त्रुटि की श्रेणी में नहीं आता है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 131–136 संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है । उपखण्ड न्यायालय बीकानेर द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि कृषि भूमि वाके रोही गीगासर तहसील बीकानेर के गत खसरा नं0 178 तदादी 22.3 बीघा एवं गत खसरा नं0 195 तादादी 9 बीघा कुल 31.3 बीघा भूमि जरिए पंजीकृत बैयनामा दिनांक 11.10.79 द्वारा क्रय की जाकर जरिये बैयनामा नामान्तरकरण सं0 309 दिनांक 3.6.80 को अपीलान्ट के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड की गयी । उक्त ग्राम में भू–प्रबन्ध कार्य संवत 2040 से 2059 तक हुआ, जिसमें अपीलान्ट के खेत में बिना कोई रास्ता पगडंडी होते हुए मनमाने तरीके से अक्स तैयार करते हुए बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के हाल बन्दोबस्ती खसरा नं0112 व खसरा नं0 518/112 के दक्षिणी सींवपर पगडंडी अक्स में कायम की गयी है, जिसे हटाई जाकर अक्स दुरुस्ति हेतु प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा दिनांक 3.5.10 को उपखण्ड न्यायालय, बीकानेर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131–136 एल.आर. एक्ट प्रस्तुत किया, जो अपीलाधीन आदेश दिनाक 29.1.19 से खारिज कर दिया गया जो सही नहीं है । प्रकरण में उपखण्ड न्यायालय द्वारा प्राप्त की गयी तथ्यात्मक रिपोर्ट में गत सजरा किश्त मोजा गीगीसर के खसरा नं0 178, 177 एवं 195 में रास्ता अंकन किया हुआ नहीं बताया है । भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा अक्स में दर्ज रास्ते की डोटेड लाईन बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से दर्ज किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.1.2019 निरस्त फरमाया जावे । अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथन के समर्थन में मिशल बन्दोबस्त प्रति मौजा गीगासर संवत 2005, न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1969 पेज 231, आरआरडी 1985 पेज 343, आरआरटी 2013(1) पेज 227, आरआरटी 2016(1) पेज 375, 1996(3)आरबीजे पेज 9, आरआरसी1996 पेज 25, आरआरडी जून–2002 पेज 236, आरबीजे(10) 2003 पेज 118, आरआरडी2009 पेज 456, आरआरटी 2012(2), आरआरटी 2015(1)पेज 451,पेज 961, आरआरटी 2016(2) पेज 815, आरआरटी 2017(1) पेज 664, आरआरटी 2016–17(supp.) आरआरटी 2018(1) पेज 293 अवलोकनीय बताया एवम् अपील अपीलान्ट स्वीकार करने हेतु निवेदन किया ।

4. अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं0 2 ता 6 ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी के खेत खसरा नं0 178 तादादी 22.3 बीघा, ख0नं0 195 तादादी 9 बीघा कुल 31.3 बीघा में से 1 बीघा 2 बिस्वा सड़क में जाने से शेष भूमि प्रार्थी की रही तथा प्रार्थी अपीलान्ट के खेत से अप्रार्थीगण रेस्पोन्डेंट के खेत में जाने के लिए रास्ता नक्शे में दिखाया हुआ है । अपीलान्ट के खेत खसरा नं0 112 तादादी 5.61हैक्टेयर के अक्स से पगडण्डी शुरु होकर रेस्पोन्डेंटान के खेत तक जाती है । यह स्थिति भू–प्रबन्ध का कार्य सम्वत 2049 से 2059 तक चला तब से आज तक पगडण्डी बदस्तूर चली आ रही है । जिसके बारे में कोई आपत्ति नहीं की गयी और सम्वत 2067 में रिकॉर्ड दुरुस्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो भू प्रबन्ध कार्यवाही समाप्त होने के वर्षो बाद प्रस्तुत किया गया । उक्त प्रार्थना पत्र के आधार अपीलार्थी रिकॉर्ड दुरुस्ति का अधिकारी नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी नियमित वाद के अन्तर्गत ही अनुतोष प्राप्त कर सकता है । अक्स में जो रास्ता–पगडण्डी दिखाई गयी है, उस पर से रेस्पोन्डेंट एवम् अन्य अड़ोस–पड़ोस के लोग अपने खेतों में जाते हैं और उनके खेतों में जाने का एक मात्र रास्ता है । यदि रास्ता बन्द कर दिया गया तो

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

रेस्पोन्डेंट व अन्य लोग अपने खेतों में जाने व काश्त करने से वंचित हो जायेंगे। प्रार्थी अगर दौराने भूप्रबन्ध बने रिकॉर्ड व नक्शे से व्यथित है तो वह नियमित वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिये । भू–प्रबन्ध की कार्यवाही मौके के अनुसार सही है । प्रकरण में रेस्पोन्डेंट व अन्य पड़ोसी काश्तकारों द्वारा सुखाचारी रास्ता खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार बीकानेर द्वारा सुखाचारी रास्ता को खुलवाया गया है। अभिभाषक रेस्पोन्डेंट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1974 पेज 353, आरआरटी 2015 (1) पेज 10, आरआरडी जनवरी 2008 पेज 37 अवलोकनीय बताया ।

5. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया । अपील में न्यायालय का निष्कर्ष निम्नवत है :–

I. अपीलार्थी रतनाराम द्वारा जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 11.10.79 द्वारा ग्राम गीगासर तहसील बीकानेर के खसरा सं0 178 की 21.11 बीघा एवं 12 बिस्वा गैरमुमकिन एवं खसरा नं. 195 की 9.00 बीघा भूमि क्रय किये जाने पर ग्राम पंचायत केसरदेसर जाटान द्वारा बैयनामा का नामान्तरकरण सं0 309 दिनांक 3.6.80 स्वीकृत किया गया है ।

II. मिसल बन्दोबस्त संवत 2050–2059 के मिलान क्षेत्रफल अनुसार ग्राम गीगासर के गत खसरा नं0 178 से हाल खसरा नं0 112 क्षेत्रफल 5.61 हैक्टेयर तथा गत खसरा नं0195 से हाल खसरा नं0 505/124 क्षेत्रफल 5.65 हैक्टेयर व 195 मिन से हाल 578/112 क्षेत्रफल 0.45 हैक्टेयर बना है ।

III. अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील में मुख्य आधार यह लिया है कि ग्राम गीगासर तहसील बीकानेर में भू–प्रबन्ध कार्यवाही संवत 2049 से 2059 तक हुआ, जिसमें अपीलान्ट के खेत में बिना कोई रास्ता पगडंडी होते हुए मनमाने तरीके से अक्स तैयार करते हुए बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के हाल बन्दोबस्ती खसरा नं0112 व खसरा नं0 518/112 के दक्षिणी सींवपर पगडंडी अक्स में कायम की गयी है, जिसे हटाई जाकर अक्स दुरुस्ति हेतु प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा दिनांक 3.5.10 को उपखण्ड न्यायालय, बीकानेर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131–136 एल.आर. एक्ट प्रस्तुत किया, जो अपीलाधीन आदेश दिनाक 29.1.19 से खारिज कर दिया गया, जो सही नहीं है ।

IV. अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील में लिये गये आधार के सम्बन्ध में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड न्यायालय बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत धारा– 131–136 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये दुरुस्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 3.5.2010 एवम् तहसीलदार राजस्व बीकानेर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 10.12.10 एवम् उपखण्ड न्यायालय, बीकानेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.1.19 का अवलोकन किया । तहसीलदार बीकानेर ने अपनी रिपोर्ट में गत सजरा किश्त मौजा गीगासर के खसरा नं0 178, 177 व 195 में रास्ता अंकित किया हुआ नहीं है, किन्तु भू–प्रबन्ध कार्यवाही 2049–2059 के दौरान खसरा नं0 112 व 578/112 में पगडण्डी (डोटेड रास्ता) जो भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा मौके के अनुसार शीट में अंकन किया गया है, उसको बिना किसी युक्तिसंगत कारण के हटाया जाना उचित नहीं बताया है । प्रकरण में हम अभिभाषक रेस्पोन्डेंट के इस कथन से सहमत हैं कि भू–प्रबन्ध का कार्य सम्वत 2049 से 2059 तक चला तब से पगडण्डी बदस्तूर चली आ रही है । जिसके बारे में भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान कोई आपत्ति नहीं की गयी और सम्वत 2067 में रिकॉर्ड दुरुस्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो भू प्रबन्ध कार्यवाही समाप्त होने के वर्षो बाद प्रस्तुत किया गया है । उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलार्थी रिकॉर्ड दुरुस्ति का अधिकारी नहीं है, क्योंकि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल.आर. एक्ट के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरुस्ति केवल लिपिकीय त्रुटियां ही धारा 136 के अन्तर्गत परिशोधित की जा सकती है तथा धारा 131एल.आर एक्ट के अनुसार सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियां समाप्त होने के पश्चात भू–अभिलेख अधिकारी राज्य सरकार द्वारा इस विषय पर बनाये गये नियमों के अनुसार

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

मानचित्र व फील्ड बुक रखे जाने एवं राज्य सरकार द्वारा विहित किये अनुसार खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लिखने तथा गल्तियों को ऐसे मानचित्र या फील्ड बुक में सही करने के प्रावधान दिये हुए हैं। प्रकरण में रेस्पोन्डेंट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका कार्यवाही दिनांक 2.4.2019 के अनुसार रेस्पोन्डेंट एवं अन्य खातेदारान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार बीकानेर द्वारा रोही ग्राम गीगासर स्थित अपीलान्ट के खेत खसरा नं0 112 व 578/112 में से गुजर रहे सुखाचारी रास्ता को खुलवाया गया है। न्यायालय के अनुसार भू–प्रबन्ध कार्यवाही 2049–2059 के दौरान खसरा नं0 112 व 578/112 में पगडण्डी (डोटेड रास्ता) जो भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा मौके के अनुसार शीट में अंकन किया गया है, उसको बिना किसी युक्तिसंगत कारण के हटाया जाना उचित नहीं है । हम उपखण्ड न्यायालय, बीकानेर के उक्त निष्कर्ष से सहमत हैं कि भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131–136 में लिपिकीय त्रुटि को ही संशोधित करवाया जा सकता है, जबकि प्रार्थी अपीलान्ट अक्स में भूप्रबन्ध द्वारा दर्शाई गयी डोटेड लाईन को हटवाना चाहता है । ऐसी स्थिति में हम उपखण्ड न्यायालय, बीकानेर द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.1.2019 में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः उपखण्ड न्यायालय बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनाक 29.1.19 यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । न्यायालय के अनुसार अपीलार्थी नियमित वाद के अन्तर्गत ही अनुतोष प्राप्त कर सकता है ।

6. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 3.12.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Sahai Meena
Date: 2020.01.14 13:46:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: